



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र. : 005/2015/AT (AC)/2018/४४६

दिनांक : 21.08.2018

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 17.07.2018 को सम्पन्न 28^{वीं} बैठक में मद संख्या: 10 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में प्रवेश में दिव्यांगों के लिए आरक्षण के संबंध में विस्तारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है-

1. प्रो. मनोज कुमार, अध्यक्ष
2. प्रो. शंभू गुप्त, सदस्य
3. प्रो. प्रीति सागर, सदस्य
4. सहायक कुलसचिव (अका.), सदस्य सचिव

समिति से अनुरोध है कि वह अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

कादर नवाज़

(कादर नवाज़ ख़ान)

21/08/18

प्रति : संबंधित सभी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)।
5. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
7. परीक्षा विभाग।
8. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल